कार्यालय मुख्य महाप्रबन्धक (फार्म), हल्दी

गोविन्द बल्लभ पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, पन्तनगर
जिला–ऊधम सिंह नगर (उत्तराखण्ड)

विश्वविद्यालय फार्म के विभिन्न प्रक्षेत्रों में रबी 2019 में उत्पादित लगभग 1.00 लाख कुन्तल गन्ने की खण्डों से कॉटे तक ढुलाई के कार्य हेतु

निविदा प्रपत्र

निविदा संख्या........................	:	निविदा शुल्क ₹ 100.00 प्रति निविदा+जी0एस0टी0
निविदा फार्म मुख्यालय से प्राप्त करने की तिथि व समय	:	दिनांक 05.09.2019 को पूर्वान्ह 10.00 बजे से
निविदा प्रपत्र जमा करने की तिथि व समय	:	दिनांक 27.09.2019 को अपरान्ह् 1.00 बजे तक
निविदा खोलने की तिथि व समय	:	दिनांक 27.09.2019 को अपरान्ह् 3.00 बजे

विश्वविद्यालय फार्म के विभिन्न प्रक्षेत्राों में रबी 2019 में उत्पादित लगभग 1.00 लाख कुन्तल गन्ने की खण्डों से कॉटे तक ढुलाई के कार्य हेतु दरें।

हल्दी प्रक्षेत्र

खण्ड का नाम	कांटा "ए" (एच खण्ड)	दर प्रति कु0 (अंको एवं शब्दों में)
	खण्ड से क्रय केन्द्र तक औसत दूरी (कि0मी0)	
"एच", 'आई'	1.50	
"जे"	4.00	
"एल"	6.00	

बेनी प्रक्षेत्र

खण्ड का नाम	कांटा "बी" (एन खण्ड)	दर प्रति कु0 (अंको एवं शब्दों में)
	खण्ड से क्रय केन्द्र तक औसत दूरी (कि0मी0)	
"एन","पी","क्यू"	1.00 से 1.50	
"आर","एस","टी"	5.00	
"एल"	6.00	

मैंने पृष्ट भाग पर वर्णित निविदा की शर्तो का अध्ययन कर लिया है व सभी शर्ते मान्य है। धरोहर धनराशि ₹ .... बैंक ड्राफ्ट/नकद रसीद सं0 .... दिनांक .... के द्वारा जमा कर दिया है जो इस निविदा के साथ संलग्न है।

रसीद सं0...
दिनांक..
धनराशि ₹ ....

निविदादाता के हस्ताक्षर ....
पूरा नाम/पिता का नाम ....
ग्राम व पोस्ट ....
तह0 .... जनपद.................................
पिन .... दूरभाष..................................
मोबाइल नं0 ....
पैन संख्या .... आधार नं0..............................
बैंक का खाता सं0/शाखा का नाम ....

निविदा जारी करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर

निविदा की शर्तें
गन्ना ढुलाई

1. निविदा के साथ गन्ना ढुलाई हेतु धरोहर राशि ₹ 5,000.00 (वापसी योग्य) बैंक ड्राफ्ट/नकद रसीद जो विश्वविद्यालय फार्म खाते के नाम भारतीय स्टेट बैंक, हल्दी/पन्तनगर, यूको बैंक, हल्दी/पन्तनगर एंव नैनीताल बैंक, नगला पर देय हो, जमा करना आवश्यक होगा। बिना सुरक्षा धनराशि के निविदा निरस्त कर दी जायेगी।
2. निविदादाता को निविदायें दिनांक 27.09.2019 को अपरान्ह 1.00 बजे तक फार्म मुख्यालय हल्दी में रक्षित पेटी में जमा करनी होगी। जो उसी दिन सांय 3.00 बजे उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष समिति द्वारा खोली जायेगी।
3. निविदादाता को गन्ना ढुलाई हेतु उपलब्ध कराये जाने वाले ट्रैक्टर–ट्राली/ट्रेलर व ट्रक/भैंसा बुग्गी की संख्या का उल्लेख निविदा प्रपत्र में स्पष्ट रूप से करना होगा जिससे विश्वविद्यालय फार्म अपने प्रतिदिन मांग के अनुसार की व्यवस्था कर सकें।
4. गन्ने के खेतों से ढुलाई गन्ना मिल की मांग के अनुसार कांटे तक करनी होगी।
5. फार्म के खण्डों से गन्ने की निकासी से पूर्व खण्ड अधीक्षक के द्वारा रवन्ना प्राप्त करना अनिवार्य होगा। बिना रवन्ना प्राप्त किये ट्रैक्टर–ट्राली व बुग्गी खेत से बाहर नहीं निकाली जायेगी।
6. सम्बन्धित ठेकेदार या उसके प्रतिनिधि के द्वारा विश्वविद्यालय फार्म की किसी भी चल/अचल सम्पत्ति को यदि कोई हानि होती है तो उसका दायित्व ठेकेदार का होगा।
7. यदि सम्बन्धित ठेकेदार ठेका लेने के उपरान्त कार्य करने में असमर्थ रहता है तो उसके द्वारा जमा धरोहर धनराशि को जब्त करने के अतिरिक्त उसके विरुद्ध क्षतिपूर्ति हेतु विधिक कार्यवाही की जा सकती है।
8. ठेकेदार के श्रमिकों, एवं मशीनों द्वारा वि०वि० फार्म की फसलों को क्षति पहुँचाई जाती है तो उसकी क्षतिपूर्ति की प्रतिपूर्ति सम्बन्धित ठेंकेदार से की जायेगी।
9. बुग्गियों में गन्ने की लदाई एवं उतराई का कार्य सम्बन्धित ठेकेदार को करना होगा।
10. सम्बन्धित ठेकेदार को अपने जानवरों (प्रति बुग्गी दो) के अतिरिक्त अन्य जानवर लाना वर्जित है।
11. किसी भी निविदा को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार कुलपति महोदय पर निहित होगा। किसी तरह के विवाद पर निर्णय लेने का अधिकार कुलपति जी को होगा। जो दोनों पक्षों को मान्य होगा।
12. यदि खेत में गन्ना छोड़ा गया तो ₹ 50.00 प्रतिदिन की दर से क्षतिपूर्ति कर ली जायेगी।
13. ठेकेदार को आवश्यकतानुसार ट्रान्सपोर्ट के साधन उपलब्ध कराने होंगे।
14. अनुमानित कार्य की मात्रा कम या अधिक हो सकती है।
15. विश्वविद्यालय/विश्वविद्यालय, फार्म के कर्मचारियों/अधिकारियों अथवा उनके सगे सम्बन्धी उपरोक्तानुसार ठेका आधार पर कार्य कराये जाने के पात्र नहीं होगें।
16. सम्बन्धित ठेकेदार को गन्ना ढुलाई कराये जाने वाले प्रक्षेत्र में प्रतिदिन स्वयं उपस्थित होना आवश्यक है। विश्वविद्यालय फार्म प्रशासन द्वारा निरीक्षण के दौरान सम्बन्धित ठेकेदार के अनुपस्थित होने की स्थिति में ठेका निरस्त कर जमा सुरक्षा धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
17. गन्ना ढुलाई का कार्य पूर्णरूपेण सम्पन्न होने से पूर्व यदि किसी ठेकेदार की बुग्गी कार्य छोड़ कर जाती है तो सम्पूर्ण सुरक्षा धनराशि एवं अवशेष देयक जब्त करने का पूर्ण अधिकार विश्वविद्यालय फार्म को होगा।
18. सम्बन्धित ठेकेदार को अपना बैंक खाता, पेन नं० एवं आधार कार्ड नं० का निविदा में उल्लेख करते हुए छायाप्रति भी प्रस्तुत करनी होगी तथा उक्त कार्य पर जी०एस०टी मुक्त होने का प्रमाण–पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।
19. उपरोक्त कार्य पर किसी भी प्रकार का टैक्ट/स्टाम्प डियूटी आदि राज्य एवं केन्द्रीय सरकार द्वारा लागू किया जाता है तो उसके भुगतान की पूर्ण उत्तरदायित्व निविदादाता का होगा। इस विषय में विश्वविद्यालय फार्म पूर्णरूपेण उत्तरदायित्व नही होगा।

02/9/19

मुख्य महाप्रबन्धक (फार्म)

निविदादाता के हस्ताक्षर